

05/01/23 आज यह पत्रावली पेश हुई। मूल
वाक अफम हाजरी अफम पेशी में खारिज
हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT-Act
की आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।
अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की
जाती है। प्रार्थना पत्र मूल वाक के साथ
संलग्न रहे। पत्रावली फंसल शुमार होडर
नम्बर से डम होडर शामिल दफ्तर है।

उपलब्ध अफम
बहरोड़ (अलवर) राज0